संख्या–1107/सत्तर–6–2014–89/2014

प्रेषक,

दिलीप कुमार श्रीवास्तव
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,
कानपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ : दिनांक 01 अगस्त, 2014

विषयः महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता प्रस्तावों के निस्तारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नये महाविद्यालयों/संस्थानों को खोले जाने तथा स्थापित महाविद्यालय/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त पाठ्यक्रमों व विषयों को प्रारम्भ किये जाने हेतु राज्य सरकार को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 यथासंशोधित की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन पूर्वानुमति दिये जाने की व्यवस्था थी। उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत सत्र, 2014–2015 हेतु निर्धारित समय सारणी के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों पर प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में गठित सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 03 जून, 2014 में यह संस्तुति की गयी थी कि विश्वविद्यालय/सम्बद्धता समिति द्वारा पाई गयी कमियों के सम्बन्ध में विशेष सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा प्रबन्धतंत्र को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए मामले में सुनवाई करने के उपरान्त अपनी संस्तुति दी जाय। उक्त के क्रम में छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर से सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र को दिनांक 01 जुलाई, 2014 को विशेष सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। सुनवाई करने के उपरान्त प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर निम्नवत् संस्तुति की गयी हैः–

क्रम	महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम	विश्वविद्यालय की आख्या/विभागीय सम्बद्धता समिति द्वारा पायी गयी कमियां	संस्तुति
1.	श्री रघुराज सिंह महाविद्यालय, सराय अकिल, कौशाम्बी	बी0ए0 एवं बी0एससी0 (प्रपत्र–बी)	1– एक व्याख्यान कक्ष कम है। 2– बी0एससी0 पाठ्यक्रम के गणित विषय हेतु प्रवक्ता अनुमोदित नहीं है।	सुनवाई के समय महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र द्वारा शपथपत्र के माध्यम से यह अभिकथन प्रस्तुत किया गया है कि महाविद्यालय में बी0ए0 एवं बी0एससी0 दोनो संकायों हेतु अवस्थापना सम्बन्धी समस्त मानकों को पूर्ण कर लिया गया है। निरीक्षण मण्डल के समय 11वें व्याख्यान कक्ष में प्लास्टर एवं दरवाजे का कार्य हो रहा था। किसी कारण से इस कक्ष का उल्लेख नहीं हो पाया सम्प्रति उक्त व्याख्यान कक्ष पूर्ण रूप से बना हुआ है, जिसे कभी भी निरीक्षण में देख जा सकता है। साक्ष्य स्वरूप उसका फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त के दृष्टिगत महाविद्यालय को याचित पाठ्यक्रम में दिनांक 01–07–2014 से आगामी तीन वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुगति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि महाविद्यालय के व्याख्यान कक्ष पूर्ण होने की विश्वविद्यालय द्वारा पुष्टि कर ली जायेगी।

.....क्रमशः

2.	संत रामलखन डिग्री कालेज, वीरापुर, कसौंधन, बरौत, इलाहाबाद	बी0ए0 (प्रपत्र–बी) तथा बी0एससी0 (विश्वविद्यालय द्वारा असंस्तुत)	कला संकाय हेतु : 1– याचित पाठ्यक्रम/विषयों के प्रवक्ता विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित नहीं है। विज्ञान संकाय हेतु : 1– प्रभूत धनराशि जमा नहीं है। 2– रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में अवस्थापना एवं उपकरण सम्बन्धी मानक पूर्ण न होने के कारण निरीक्षण मण्डल द्वारा बी0एससी0 पाठ्यक्रम हेतु संस्तुति नहीं की गयी है।	महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र द्वारा शपथपत्र के माध्यम से यह अभिकथन किया गया है कि रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में उपकरण, अवस्थापना सम्बन्धी कमियां पूर्ण कर ली गयी हैं। साक्ष्य स्वरूप फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किये गये हैं। अतः महाविद्यालय को बी0ए0 एवं बी0एससी0 पाठ्यक्रमों में दिनांक 01–07–2014 से आगामी तीन वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाय कि महाविद्यालय के विज्ञान संकाय के अन्तर्गत रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में अवस्थापना एवं उपकरण सम्बन्धी मानकों के पूर्ण होने की विश्वविद्यालय द्वारा पुष्टि कर ली जायेगी।
3	हजरत मौलाना अली मियां नदवी डिग्री कालेज, चूहापीरन, सौरई, बुजुर्ग, कड़ा, कौशाम्बी	बी0ए0 (विश्वविद्यालय द्वारा असंस्तुत)	निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं विश्वविद्यालय की आख्यानुसार भवन मानकानुसार न होने एवं अन्य कमियों के कारण विश्वविद्यालय द्वारा असंस्तुत किया गया।	महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र ने शपथपत्र के माध्यम से यह अभिकथन प्रस्तुत किया है कि कमरों की नाप ठीक करा ली गयी है तथा विश्वविद्यालय द्वारा नामित निरीक्षण मण्डल ने दिनांक 30–06–2014 को निरीक्षण भी किया है। अतः महाविद्यालय को याचित बी0ए0 पाठ्यक्रम में दिनांक 01–07–2014 से आगामी तीन वर्षों हेतु सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति इस शर्त के साथ प्रदान कर दी जाय कि महाविद्यालय में मानकानुसार व्याख्यान कक्षों के निर्मित होने की पुष्टि विश्वविद्यालय द्वारा कर ली जायेगी।

.....क्रमशः

4	दयानन्द दीनानाथ इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जगदीशपुर, अजगैन, उन्नाव	बी0एससी0 (प्रपत्र–बी)	1– एक शिक्षण कक्ष कम है तथा महाविद्यालय की चहारदीवारी सिर्फ तीन ओर से निर्मित है। 2– प्रवक्ता विश्वविद्यालय से अनुमोदित नहीं है। 3– खतौन, संयुक्तता व नजरी नक्शा सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं है। 4– पुस्तकालय/प्रयोगशालाओं को सुदृण किये जाने हेतु निरीक्षण मण्डल ने आख्या दी है। 5– संस्था के खाते में मानकानुसार धनराशि जमा होने का प्रमाणपत्र संलग्न नहीं है। 6– वर्ष 2012–13 की बैलेंस शीट संलग्न नहीं है। 7– प्रबन्धतंत्र के द्वारा आवेदनपत्र में अंकित विवरण/प्रविष्टियां तथ्यों पर आधारित एवं सही हैं, का ₹ 50/– के स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित संलग्न शपथपत्र मूलरूप में संलग्न नहीं है।	प्रबन्ध समिति की ओर से श्री संदीप सिंह परिहार जो इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर हैं, उपस्थित हुये। प्रबन्धक स्वयं उपस्थित नहीं हुये। महाविद्यालय में इंगित की गयी कमियों को पूर्ण कराने में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः विश्वविद्यालय से अनुरोध किया जाय कि महाविद्यालय का पुनः निरीक्षण कराकर प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण विश्वविद्यालय स्तर से करायें।
5	ए0के0 डिग्री कालेज, सी0बी0 रोड, असालताबाद, छिबरामऊ, कन्नौज।	बी0ए0 एवं बी0एससी0 (प्रपत्र–बी)	1– महाविद्यालय में प्राचार्य एवं प्रवक्ता विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित नहीं है। 2– गृह विज्ञान एवं भूगोल विषयों की प्रयोगशाला स्थापित होने एवं उसमें मानकानुसार उपकरण उपलब्ध होने का उल्लेख नहीं किया गया है। 3– अग्निशमन प्रमाणपत्र अद्यतन नहीं है।	प्रबन्धक श्री अवधेश कुमार यादव द्वारा शपथपत्र के माध्यम से यह अवगत करया गया है कि कला संकाय की सभी प्रयोगशालायें मानकानुसार स्थापित हैं। उनकी छायाप्रति भी साक्ष्य स्वरूप उपलब्ध करायी गयी है। अतः महाविद्यालय को याचित बी0ए0 तथा बी0एससी0 पाठ्यक्रम में दिनांक 01–07–2014 से आगामी तीन वर्षों हेतु सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति इस शर्त के साथ प्रदान कर दी जाय कि महाविद्यालय में मानकानुसार प्रयोगशालाओं के स्थापित होने की विश्वविद्यालय द्वारा करा ली जायेगी।

.....क्रमशः

6	बाबा बैजनाथ डिग्री कालेज, पतारा, कानपुर नगर।	बी0एससी0 (प्रपत्र–बी)	1– चार शिक्षण कक्ष निर्माणाधीन है। 2– शिक्षक विश्वविद्यालय से अनुमोदित नहीं है। 3– प्रबन्ध समिति कालातीत हो गयी है। 4– संलग्न छायाचित्र के अनुसार रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला मानकानुसार निर्मित नहीं है।	प्रबन्धक ने उपस्थित होकर अपने पत्र दिनांक 30–06–2014 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा अन्य आपत्तियां यथा रसायन विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण भी पूर्ण करा लिया गया है। अतः उक्त के दृष्टिगत महाविद्यालय को बी0एससी0 पाठ्यक्रम में दिनांक 01–07–2014 से आगामी तीन वर्षों हेतु सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति इस शर्त के साथ प्रदान कर दी जाय कि महाविद्यालय में मानकानुसार व्याख्यान कक्षा एवं प्रयोगशाला के निर्मित होने की विश्वविद्यालय द्वारा पुष्टि करा ली जायेगी।
7	नारायण आर्य कन्या पाठशाला पी0जी0 कालेज, फर्रूखाबाद।	एम0ए0 समजाशास्त्र व संगीत) (विश्वविद्यालय द्वारा असंस्तुत)	महाविद्यालय में पूर्व से उपलब्ध 1676.26 वर्ग मीटर भूमि पर भवन निर्मित है। नवीन क्रय की गई भूमि के संबंध में संयुक्त होने संबंधी प्रमाण पत्र/ अभिलेख यथा–नजरी नक्शा, संयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। उक्त अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में संयुक्तता की स्थिति स्पष्ट नहीं है। उक्त के दृष्टिगत विश्वविद्यालय द्वारा कोई संस्तुति नहीं की गई है।	सुनवाई डॉ0 हरिदत्त द्विवेदी उपस्थित हुये। भूमि की संयुक्तता के सम्बन्ध में तहसीलदार द्वारा प्रमाणित प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया। अतः महाविद्यालय को एम0ए0 (समाजशास्त्र व संगीत विषय) में दिनांक 01–07–2014 से आगामी दो वर्षों हेतु सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान किये जाने की संस्तुति की जाती है। विश्वविद्यालय अपने स्तर से अभिलेखों की सत्यता की पुष्टि करा लेंगे।

.....क्रमशः

	श्रीमती शकुनतला देवी महिला महाविद्यालय, रूर, खड़िनी, कन्नौज।	बी0ए0 (विश्वविद्यालय द्वारा असंस्तुत)	अवस्थापना संबंधी मानक अपूर्ण होने के दृष्टिगत विश्वविद्यालय द्वारा असंस्तुत भेजा गया है।	महाविद्यालय के प्रबन्धक द्वारा उपस्थित होकर अनुरोध किया गया कि विद्यालय में कक्ष कम हैं, परन्तु उन्हें बाद में बना लिया जायेगा। महाविद्यालय के नाम भूमि के फर्जी तरीके से राजस्व अभिलेखों में अन्तरण के सम्बन्ध में शिकायतें भी शासन में प्राप्त हुयी हैं। अतः महाविद्यालय के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों की प्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए विश्वविद्यालय को यह निर्देशित किया जाय कि महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों की जांच कराकर तथा अवस्थापना सुविधाओं के पूर्ण होने पर प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण अपने स्तर से करायें।
9	न्यू बी0 एन0 एस0 डी0 महाविद्यालय, देवहा, बिल्हौर, कानपुर नगर	बी0ए0 (विश्वविद्यालय द्वारा बिना संस्तुति के प्रेषित)	1– महाविद्यालय की संस्था का पंजीकरण दिनांक 19–09–2013 तक ही विधिमान्य है। 2– अग्निशमन प्रमाणपत्र दिनांक 16–07–2012 निर्गत है, जो अद्यतन नहीं है। 3– प्राचार्य एवं शिक्षक विश्वविद्यालय से अनुमोदित नहीं है। 4– विश्वविद्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा सम्बद्धता के प्रस्ताव को असंस्तुत किया गया हे।	महाविद्यालय के सचिव, श्री अवधेश कुमार द्विवेदी सुनवाई के समय उपस्थित हुये। उन्होंने बताया कि संस्था के पंजीकरण हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रार्थनापत्र दे दिया गया है। अतः विश्वविद्यालय को यह निर्देशित किया जाय कि महाविद्यालय का निरीक्षण कराकर प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण विश्वविद्यालय स्तर से करायें।
10	चन्द्रभान सिंह शिक्षण संस्थान, रसूलाबाद, कानपुर देहात।	बी0ए0 एवं बी0एससी0 (विश्वविद्यालय द्वारा असंस्तुत)	विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 31–5–2014 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि भवन पूर्ण न होने के कारण महाविद्यालय द्वारा निरीक्षण नहीं कराया गया है। सत्र 2014–15 से महाविद्यालय सम्बद्धता नहीं चाहता है। प्रबन्धतंत्र द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि भवन पूर्ण होने के उपरान्त महाविद्यालय विश्वविद्यालय को सूचित कर निरीक्षण करा लेगा।	इस महाविद्यालय का पैनल निरीक्षण नहीं कराया गया है। सुनवाई हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ। विश्वविद्यालय को यह निर्देशित किया जाय कि महाविद्यालय का निरीक्षण कराकर प्रकरण का निस्तारण विश्वविद्यालय स्तर से करायें।

.....क्रमशः

11	मुकेश सिंह यादव स्मृति महाविद्यालय, पूर्वा, मदनसिंह, सौहरी, गढ़िया, अजीतमल, औरैया।	बी0ए0 एवं बी0एससी0 (विश्वविद्यालय द्वारा असंतुत)	विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 31–5–2014 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि संबंधित महाविद्यालय के प्रबंधतंत्र द्वारा विश्वविद्यालय से नामित निरीक्षण मण्डल से दिनांक 28–5–2014 तक कोई सम्पर्क नहीं किया गया। इस कारण महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं किया जा सका।	इस महाविद्यालय का पैनल निरीक्षण नहीं कराया गया है। अतः विश्वविद्यालय को यह निर्देशित किया जाय कि महाविद्यालय का निरीक्षण कराकर प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण करायें।

विशेष सचिव द्वारा की गयी संस्तुतियों जो महाविद्यालय के नाम के सम्मुख अंकित हैं, को राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

2– उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम–2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 की धारा–37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया गया है।

3– उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उक्त संस्तुतियों के क्रम में कार्यवाही/सम्बद्धता के आदेश अपने स्तर से निर्गत किये जाने हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें ताकि सत्र, 2014–2015 के संचालन में व्यवधान उत्पन्न न हो।

भवदीय,

(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या–1107(1)/सत्तर–6–2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर/लखनऊ/इलाहाबाद।
(3) सचिव/प्रबन्धक, संबंधित समस्त महाविद्यालय।
(4) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
(5) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0शासन।
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।